

भारत सरकार  
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1740  
10 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

### इस्पात क्षेत्र का डिकार्बोनाइजेशन और ईएएफ विस्तार

**1740. श्री काली चरण सिंह:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ईएएफ विस्तार, स्क्रेप नीति और हाइड्रोजन/डीआरआई विकल्पों सहित इस्पात क्षेत्र के डिकार्बोनाइजेशन मार्गों का मानचित्रण किया है;

(ख) क्या विद्युत की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण स्क्रेप पहुंच सहित लागत और अवसंरचना संबंधी बाधाओं की पहचान कर ली गई है;

(ग) हरित वित्त और जोखिम हिस्सेदारी के साधनों को जुटाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) उत्सर्जन की तीव्रता में कमी लाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों और कार्यान्वयन के लिए निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है?

### उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): इस्पात मंत्रालय ने इस मंत्रालय द्वारा गठित 14 कार्यबलों की सिफारिशों के अनुरूप "ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया: रोडमैप एण्ड एक्शन प्लान" शीर्षक से एक रिपोर्ट इस उद्देश्य के लिए जारी की है। यह रिपोर्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ), स्क्रेप-आधारित इस्पात निर्माण तथा हाइड्रोजन/डीआरआई-आधारित प्रौद्योगिकियों को अपनाने सहित विभिन्न इस्पात निर्माण मार्गों में डिकार्बोनाइजेशन के लिए रोडमैप प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट इस्पात क्षेत्र के डिकार्बोनाइजेशन के लिए ऊर्जा दक्षता तथा स्क्रेप की उपलब्धता सहित लागत और अवसंरचना से संबंधित बाधाओं पर भी चर्चा करती है। यह रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

यह रिपोर्ट इस्पात क्षेत्र के डिकार्बोनाइजेशन हेतु अल्पकालिक, मध्यमकालिक तथा दीर्घकालिक रणनीतियों पर भी प्रकाश डालती है। अल्पकाल (वित्त वर्ष 2030) में, इस्पात उद्योग में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए ऊर्जा एवं संसाधन दक्षता के संवर्धन के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

(ग): इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत इस्पात क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग हेतु पायलट परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

(घ): इस्पात मंत्रालय वर्ष 2070 तक भारत के नेट-जीरो लक्ष्य के अनुरूप कार्य कर रहा है।

\*\*\*\*\*